



देवीअहिल्याविश्वविद्यालय,इंदौर

क्रमांक-प्रशा/हेलमेट/2025/762

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर- 452001
दिनांक 19 AUG 2025

// आदेश //

सर्व संबंधितों को आदेशित किया जाता है, कि विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर, तक्षशिला परिसर, विक्रमशिला परिसर तथा अन्य अध्ययनशालाओं के परिसरों के समस्त शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिसर में दो पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अनिवार्यतः हेलमेट पहनना है एवं परिसर में आने वाले सभी आगंतुकों एवं छात्रों को भी उक्त आदेश का पालन करना अनिवार्य है।

अतः विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में प्रवेश करने वाले दो पहिया वाहन चालक अनिवार्यतः हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/प्रशा/हेलमेट/2025/762

दिनांक 19 AUG 2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख समस्त अध्ययनशालाएं एवं संस्थानों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समस्त, अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. कुलगुरु के सचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेक्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव (प्रशासन)